Dainik Jagran
31st August 2010

कर चोरी के मददगारों पर भारी पड़ेगा डीटीसी

कर चोरी में मदद करने पर सात वर्ष तक की सजा

पांच लाख का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : लोकसभा में पेश प्रत्यक्ष कर कोड विधेयक, 2010 से एक बात साबित हो गई है कि वित्तमंत्री ने घरेलू कर ढांचे में आमूलचूल बदलाव का वादा भले ही पूरा न किया हो, लेकिन कर चोरी के मामलों से कड़ाई से निबटने का वादा वो जरूर पूरा करने जा रहे हैं। प्रस्तावित कानून न सिर्फ कर चोरी करने वालों, बल्कि उन्हें मदद करने वालों को लेकर भी काफी कड़ा रुख अख्तियार करने जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए सात वर्ष तक के कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। माना जा रहा है कि इससे आयकर से संबंधित प्रोफेशनल (सीए आदि) की गलत गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। डीटीसी विधेयक में साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कर चोरी या पेनाल्टी■ शेष पृष्ठ 2 पर

प्रथम पेज का शेष

कर चोरी के ...

या ब्याज वगैरह बचाने में गलत तरीके से मदद करता है या फिर उसे कोई गलत प्रपत्र देता है या उसके खाते में कोई गलत सूचना (इंट्री) देता है तो उसे तीन महीने से 3 वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है। साथ ही उस व्यक्ति पर 25 हजार से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर जिस व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है, उसके खिलाफ कर चोरी का मामला नहीं बनता है, तब भी उसके मददगार को सजा दी जाएगी। अगर आय कर चोरी का मामला एक लाख रुपये से ज्यादा का है तो कैद की सजा बढ़कर सात वर्ष और जुर्माने की राशि एक लाख रुपये तक हो सकती है। कर चोरी की सामान्य घटनाओं के बारे में विधेयक में कहा गया है कि ऐसे मामले में अदालत तीन महीने से तीन वर्ष तक की सजा मुकर्रर कर सकती है। साथ ही दोषी व्यक्ति पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के ये प्रावधान चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) सहित अन्य कर प्रोफेशनल पर लगाम लगाने में भी सहायक होंगे। जानकारों का मानना है कि मौजूदा आयकर कानून में भी इनकम टैक्स चोरी में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रावधान हैं, लेकिन वे सख्त नहीं हैं। हाल के दिनों में कर चोरी के मामले बढ़ने की वजह से विधेयक में इस मामले पर ज्यादा सख्ती बरती गई है।